परिशिष्ट

[20/3/2025]

संचालनालय खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रश्न सं. [क्र. 2444]

टी.टी.नगर स्टेडियम, भोपाल

क्रमांक /4208/अनुदान/2023, भोपाल, दिनांक 18/07/2023

प्रति,

समस्त
संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः- विधायक कप वर्ष 2023-24 के आयोजन के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. की मंशानुसार खेल गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं खेलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से युवाओं को सहभागी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में दिनांक 27 जुलाई से 13 अगस्त, 2023 के मध्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ''विधायक कप'' के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

विधायक कप के अंतर्गत सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक की अनुशंसा अनुसार कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, व्हॉलीवाल, फुटबाल, बास्केटबाल एवं टेबल-टेनिस में से जो भी खेल उस क्षेत्र में प्रचलित हो, उनमें से 01 लोकप्रिय खेल का चयन कर प्रतियोगिता का आयोजन बालक एवं बालिका वर्ग में पृथक-पृथक किया जा सकेगा।

''विधायक कप 2023-24'' के आयोजन पर राशि रू. 1.00 लाख (राशि रू. एक लाख) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु व्यय किया जाना है। उक्त प्रावधानित राशि में से खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने हेतु राशि रू. 75,000/- तथा राशि रू. 25,000/- एकरूपता की दृष्टि से समस्त विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को प्रदान की जाने वाली ट्राफी, मैडल, प्रमाण पत्र, 01 बैकड्राप एवं 02 बैनर जिसमें सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक का फोटो एवं नाम भी अंकित होगा का आवंटन प्रदान किया जायेगा। उक्त सामग्री संचालनालय, खेल और युवा कल्याण द्वारा प्रदान की जावेगी।

किसी भी स्थिति में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का उपयोग जिले की किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की ''विधायक कप'' प्रतियोगिता के लिए नहीं किया जा सकेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाना है कि आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

...2...

अतः विधायक कप के आयोजन हेतु जिले के माननीय विधायक से सम्पर्क स्थापित कर प्रतियोगिता की तिथि, खेल का चयन एवं अन्य व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें तथा आपके विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक का नाम, क्षेत्र, आयोजन की तिथि व चयनित खेल की जानकारी से संचालनालय को अवगत करावें।

संचालक
खेल और युवा कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक /4209/अनुदान/2023,
भोपाल, दिनांक 18/07/2023

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक, माननीया मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

– की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
खेल और युवा कल्याण
मध्यप्रदेश